भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (सार्ब), मैट्रिक्स मॉल, तृतीय तल, सेक्टर 4, जवाहर नगर, जयपुर (राज.)–302004।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स गणपति फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्रो. महेश कुमार बुरड़क पुत्र श्रवण कुमार बुरड़क,
   (अ) ग्राम–त्रिलोकपुरा, नेशनल हाईवे नं. 65, पोस्ट रानोली, जिला सीकर (राज.)।
   (ब) विद्या निकेतन स्कूल, नेशनल हाईवे नं. 11, रानोली, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.)।
   (स) केयर ऑफ लक्ष्मी डीजल सर्विस, ग्राम पोस्ट रानोली, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर (राज.)।

ऋणी

2. श्रवण सिंह पुत्र सुखदेवा राम जाट,
   (अ) ग्राम पोस्ट– रानोली, जिला सीकर (राज.)।
   (ब) केयर ऑफ लक्ष्मी डीजल सर्विस, ग्राम पोस्ट रानोली, जिला सीकर (राज.)।

जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांकः 21 जून, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **भानू प्रकाश मिश्रा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स गणपति फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्रो. महेश कुमार बुरड़क पुत्र श्रवण कुमार बुरड़क, श्रवण सिंह** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **श्रवण सिंह पुत्र सुखदेवा राम जाट की खसर नम्बर 777/1, रानोली जिला सीकर (राज.) स्थित**

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1300 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित), जिसके पूर्व में सुरेश कुमार यादव की सम्पत्ति, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में नेशनल हाईवे नं. 11, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है, को बंधक रखकर टर्म लोन खाते में 70,00,000/– रूपये तथा केश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लिमिट लोन खाते में 25,00,000/– रूपये इस प्रकार दोनों खातों में कुल **95,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पिचानवे लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **25.05.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **25.05.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मैसर्स गणपति फलाई ऐश ब्रिक्स प्रो. महेश कुमार बुरड़क पुत्र श्रवण कुमार बुरड़क,**

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

श्रवण सिंह की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **श्रवण सिंह पुत्र सुखदेवा राम जाट की खसर नम्बर 777/1, रानोली जिला सीकर (राज.) स्थित व्यावसायिक सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1300 वर्गमीटर) तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित), जिसके पूर्व में सुरेश कुमार यादव की सम्पत्ति, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में नेशनल हाईवे नं. 11, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 21 **जून, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner